चयन हेतु नियम एवं शर्तें

1. अधिकारी/कार्मिक जिस जिले के आवासीय विद्यालय में रिक्त पद पर पदस्थापन चाहते है अनुसूचित क्षेत्र हेतु उस जिले के उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, गैर अनुसूचित क्षेत्र के जिलों हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद एवं बांरा जिले हेतु अतिरिक्त कलक्टर एवं परियोजना अधिकारी, सहरिया विकास परियोजना, शाहबाद, जिला बांरा में साक्षात्कार हेतु अपने समस्त मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. अधिकारी/कार्मिक द्वारा आवेदित स्थान से अनुसूचित क्षेत्र हेतु उस जिले के उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, गैर अनुसूचित क्षेत्र के जिलों हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद एवं सहरिया क्षेत्र के जिले हेतु अतिरिक्त कलक्टर एवं परियोजना अधिकारी सहरिया विकास परियोजना, शाहबाद (बांरा) के कार्यालयों में विज्ञप्ति में दी गयी दिनांक 11.08.2021 प्रातः 11:00 बजे पर साक्षात्कार आयोजित किये जायेंगे, जिसके लिये पृथक से कोई सूचना नहीं दी जायेगी। साक्षात्कार हेतु किसी भी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा।
3. आवासीय विद्यालयों में चयनित कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति होने पर वित्त विभाग के नियमानुसार विशेष भत्ता देय होगा।
4. वार्डन के पद पर सामान्यतः द्वितीय श्रेणी अध्यापक को प्राथमिकता दी जायेगी, किन्तु द्वितीय श्रेणी अध्यापक के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में तृतीय श्रेणी अध्यापकों के आवेदन पर भी विचार किया जा सकेगा।
5. कोच(बालिका छात्रावास) के पद पर सामान्यतः तृतीय श्रेणी अध्यापिका को प्राथमिकता दी जायेगी।
6. प्रतिनियुक्ति अवधि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीति–नियमों के अनुसार ही होगी। प्रारम्भिक तौर पर प्रतिनियुक्ति एक वर्ष के लिए की जायेगी। जिसे संतोषजनक सेवा की स्थिति में अधिकतम चार वर्ष के लिये आगे बढ़ाया जा सकेगा। प्रतिनियुक्ति अवधि को बढ़ाना व कम करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।
7. शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिनियुक्ति आदेश जारी करने पश्चात् के एक माह की अवधि में प्रतिनियुक्ति स्थल पर कार्य ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रतिनियुक्ति आदेश निरस्त माना जावेगा।
8. किसी कार्मिक की सेवा संतोषप्रद नही होने अथवा किसी अन्य कारणों से दोषी पाये जाने पर किसी भी समय प्रतिनियुक्ति समाप्त की जा सकेगी। इसके तहत न्युनतम या अधिकतम प्रतिनियुक्ति अवधि का नियम स्वतः शून्य माना जायेगा तथा पद रिक्त मानते हुए कार्य व्यवस्थार्थ नवीन व्यवस्था विभाग/शिक्षा विभाग द्वारा की जावेगी।
9. आवासीय विद्यालयों में चयनित कार्मिकों को जहॉ आवास सुविधा उपलब्ध है वहॉ निवास करना अनिवार्य होगा।
10. प्रतिनियुक्ति हेतु इच्छुक कार्मिकों को निर्धारित प्रारुप में ऑनलाइन आवेदन विभाग की वेबसाइट www.tad.rajasthan.gov.in करना होगा। किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।
11. आवेदन के साथ गत 3 वर्ष का परीक्षा परिणाम का प्रमाण पत्र सम्बन्धित संस्था प्रधान से प्रमाणित कर संलग्न करना अनिवार्य होगा।
12. प्रतिनियुक्ति पदों में कमी/वृद्धि/किसी भी कर्मचारी का चयन करना अथवा नही करना इसका पूर्ण अधिकार आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर में निहित होगा।
13. **परिवीक्षा काल में चल रहे कार्मिक आवेदन के पात्र नही होगें।**
14. जिन कार्मिकों के विरूद्व राजस्थान सेवा नियम के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही विचाराधीन हो तो उनका आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। अतः सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करे।
15. निर्धारित तिथि एवं समय के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
16. शिक्षा विभाग से अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने एवं माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति आदेश जारी होने के बाद ही रिक्त पदों पर पदस्थापन किया जा सकेगा।
17. रिक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति पदस्थापन के संबंध में अभ्यर्थी किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही का हकदार नहीं होगा।
18. राज्य सरकार द्वारा रिक्त पदो पर नियमित भर्ती/पदस्थापन होने पर प्रतिनियुक्ति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
19. ईएमआरएस विद्यालयों के रिक्त पदो पर NESTS द्वारा सीधी भर्ती से पदस्थापन की कार्यवाही पूर्ण होते ही शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदो पर प्रतिनियुक्ति पदस्थापित राजकीय कर्मचारियों का प्रतिनियुक्ति पदस्थापन स्वतः समाप्त मानते हुये प्रतिनियुक्त कार्मिको को मूल विभाग (प्रारंभिक/माध्यमिक/संस्कृत शिक्षा) हेतु कार्यमुक्त कर दिये जायेंगे।

आयुक्त,
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
उदयपुर

राजस्थान सरकार

कार्यालय, आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर (राजस्थान)

समय सारणी

क्र. स.	कार्य विवरण	समय अवधि	विशेष विवरण
1	पोर्टल पर आवेदन करने की तिथि	29.07.2021 प्रातः 10 बजे से 03.08.2021 रात्रि 12 बजे तक	
2	विज्ञप्ति में प्रकाशित कार्यालयों में साक्षात्कार	11.08.2021 प्रातः 11 बजे से	
3	संबंधित कार्यालयों द्वारा चयनित आवेदकों के पेनल की सूची तैयार कर आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग को हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी व सॉफ्ट कॉपी भिजवाना	18.08.2021	

आवासीय विद्यालय में विभिन्न पदों हेतु आवेदन–पत्र
का प्रारूप

आवेदनकर्ता का नवीनतम फोटो

1– पदनाम जिसके लिए आवेदन किया गया :–
अ– पदनाम मय स्थान : ____________________
:____________________

ब– आवेदित पद का विषय
(आवासीय विद्यालय के शैक्षणिक विषयों के आवेदन हेतु) :____________________

2– आवेदनकर्ता का नाम :____________________
3– पिता/पति का नाम :____________________
4– जन्म दिनांक :____________________
5– राजकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति दिनांक :____________________
6– वर्तमान धारित पद :____________________
7– वर्तमान पदस्थापन स्थान व :____________________
कार्यालयाध्यक्ष का पदनाम :____________________
8– वर्तमान धारित पद पर कार्यग्रहण दिनांक :____________________
9– स्थाईकरण तिथि :____________________
10– वर्तमान पता :____________________
____

11– स्थाई पता :____________________
:____________________

12– मॉबाइल न. (व्हॉट्सएप) :____________________
13– ई–मेल :____________________
14– शैक्षणिक योग्यता :____________________
15– अध्यापन कार्य का अनुभव :____________________
16– विगत 3 वर्षो का परीक्षा परिणाम :

क्र.सं.	कक्षा	परिणाम		
		18–19	19–20	20–21

17– पैतृक विभाग (नियुक्ति कर्ता) :____________________
(माध्यमिक/प्रारम्भिक/संस्कृत) ____________________
18– अन्य कोई विशेष योग्यता :____________________
____

19– विभागीय जांच लम्बित नहीं होने का प्रमाण–पत्र :____________________
20– जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग में
किसी भी पद पर कार्य का अनुभव

क्र.सं.	पद	पदस्थापन स्थान	अवधि

मैं यह घोषणा करता/करती हॅू कि मेरे द्वारा आवेदन में प्रदान की गयी सूचनाएँ सत्य एवं पूर्ण है।

(आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर)
नाम–